समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व बोर्ड मंडल ग्वालियर,

जिला–जबलपुर, म0प्र0

रा.अ.प्र.कं.– अपील–5889/2018/कटनी/भू.रा.

अपीलार्थीः– मेसर्स नार्दन एरोयेटिक्स, लिमिटेड, द्वारा श्री रघुवीर शरण दानी, आत्मज श्री महाराज कृष्ण दानी, निवासी–

विरूद्ध

उत्तरार्थीः– मध्यप्रदेश शासन

अपील अंतर्गत धारा 44(1) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थी विनय पूर्वक निवेदन करते हैं किः–

अपीलार्थी की ओर से उपरोक्त अपील विचारण न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय, कटनी, जिला–कटनी द्वारा रा.प्र.कं. 105/अ–25/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 08/05/2018 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है।

Not Press
25-9-2018

अपील के तथ्य

1. यह कि, अपीलार्थीगण उपरोक्त पते का निवासी है और मेसर्स नार्दन एरोयेटिक्स, लिमिटेड, में उपरोक्त कार्य के लिये अधिकृत किया गया है।
2. यह कि, अपीलार्थी द्वारा कंपनी की ओर से अधिकृत होकर ग्राम मटवारा, प.ह.नं. 78, रा.नि.मं. स्लिमनाबाद, तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी में स्थित खसरा नंबर–404/3, 404/4, 409 कुल रकवा 0.23 हेक्टेयर, आवेदक के भूमिस्वामी हक की भूमि के बदले शासकीय भूमि ख.नं. 373 कुल रकवा 4.92 हेक्टेयर, में से 0.23 हेक्टेयर, भूमि तबादले में दिये जाने की मांग की गइरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदा गया। और उसके द्वारा नामांतरण कर दर्ज कराया

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील/5889/2018/कटनी/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
5–10–18	अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री राजेश कुमार खरे उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण आगे न चलाने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। विचारोपरांत प्रकरण आगे न चलाने के कारण प्रकरण (नोट प्रेस) में समाप्त किया जाता है। सदस्य	